I 5075/16

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP02412542761970O
Certificate Issued Date	:	20-Sep-2016 01:13 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ VARANASI1/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL01028859716531330
Purchased by	:	Ms GANPATI INFRATECH Thru PARTNER SANJEEV KAPOOR
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Part Of ARAZI No. 28, 29, MAUZA-HARAHUA (1/2 EAST PORTION), PARGANA-ATHGAWA, TEHSIL-PINDRA, VARANASI
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DINESH PRATAP SINGH and OTHERS
Second Party	:	Ms GANPATI INFRATECH Thru PARTNER SANJEEV KAPOOR
Stamp Duty Paid By	:	Ms GANPATI INFRATECH Thru PARTNER SANJEEV KAPOOR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	41,90,000 (Forty One Lakh Ninety Thousand only)

यह ई स्टाम्प प्रमाण पत्र लेखपत्र सं0 5075/16 में प्रयुक्त किया गया है।

उ0नि0 पिण्डरा
वाराणसी

-----Please write or type below this line-----

For-GANPATI INFRATECH
Partner

000…66

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

5075/16

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

Chief Treasury Officer
Varanasi
30 AUG 2016
मुख्य कोषाधिकारी
वाराणसी

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594881

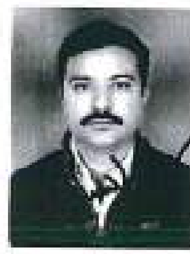

डेवलपर्स विलेख

(1) दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह पुत्र स्व0 कृष्ण प्रसाद व (2) श्रीमती शालिनी देवी पत्नी श्री विभव नारायण शर्मा निवासीगण मौजा रामसिंहपुर, परगना अंहगावाँ तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी। मो0नं0-9415204832

..............प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण

For-GANPATI INFRATECH

Partner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 2016 मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594880

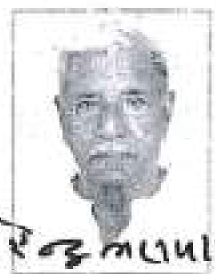

नरेन्द्र नारायण सिंह

व

मेसर्स गणपति इन्फ्राटेक Pan No.- AANFG 4711 B — साझेदारी फर्म जरिये अधिकृत साझेदार संजीव कपूर पुत्र श्री अनिल कपूर निवासी मकान नम्बर बी-21/124, प्लाट नम्बर 12-एस, सरजू नगर कालोनी, कमच्छा, शहर वाराणसी। मो०नं०-9161280999

..............द्वितीयपक्ष/डेवलपर

व

(1) बाल कृष्ण व (2) देव कृष्ण पुत्रगण लालजी (3) नरेन्द्र नारायण व (4) सुरेन्द्र नारायण पुत्रगण स्व० जितेन्द्र नारायण निवासीगण मौजा रामसिंहपुर, परगना कसवार, तहसील पिण्ड्रा जिला वाराणसी। मो०नं०- 9415204832 .... तृतीय पक्ष/पुष्टिकर्तागण

दिनेश प्रताप सिंह सालीनी

For-GANPATI INFRATECH

Partner

नरेन्द्र नारायण सिंह

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०-29 119/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 AUG 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594877

विदित हो कि आराजी नम्बर 28 रकबा 0.6480 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1980 हेक्टेयर, कुल दो गाटा रकबा 0.846 हेक्टेयर यानी 8554.33 वर्गमीटर, जो आपस में सटे हुए है, स्थित ग्राम हरहुआ, परगना अठगांव, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी मिल्कियत प्रथमपक्ष व तृतीयपक्ष की सम्मिलित रूप से है। उक्त सम्पत्ति का पूर्वी आधा हिस्सा क्षेत्रफल 0.423 हेक्टेयर यानी 4277.165 वर्गमीटर, जिसका सम्पूर्ण विवरण मय चौहद्दी इस प्रलेख के अन्त में दिया गया है, जरिये आपसी बाहमी बंटवारा प्रथमपक्ष को प्राप्त हुआ तथा निम्नवर्णित सम्पत्ति तनहां मिल्कियत प्रथम पक्ष भू-स्वामीगण की है जिस पर प्रथम पक्ष बहैसियत मालिक काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना अमल में लाते चले आ रहे है और जिसके प्रथम पक्ष तनहां स्वामीगण हैं जिसके स्वत्व, अधिकार, हित एवं अध्यासन से किसी गैर शख्स का कोई वास्ता सरोकार किसी किस्म का नहीं है और जो पाक साफ विवाद रहित है। प्रथम पक्ष अपनी उपरोल्लिखित सम्पत्ति पर ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक काम्प्लेक्स/रिहायशी मकान का निर्माण कराना चाहते है

For-GANPATI INFRATECH

Partner

विक्रय अनुबंध विलेख

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता

प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
59,881,000.00			20,400.00	160	20,560.00	2000

श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह
पुत्र श्री स्व0 कृष्ण प्रसाद
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 20/9/2016 समय 4:24PM बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

कृष्ण मुरारी तिवारी
नि० लि०
पिण्ड्रा, वाराणसी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धर्मेन्द्र कुमार
उपनिबन्धक पिण्डरा
वाराणसी
20/9/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह
पुत्र श्री स्व0 कृष्ण प्रसाद
पेशा व्यापार
निवासी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

क्रेता

श्री मेसर्स गणपति इन्फ्राटेक जरिये संजीव कपूर
पुत्र श्री अनिल कपूर
पेशा व्यापार
निवासी बी-21/124 प्लाट नं0 12-एस सरजू नगर कालोनी कमच्छा वाराणसी

श्रीमती शालिनी देवी
पत्नी श्री विभव नारायण शर्मा
पेशा गृहिणी
निवासी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

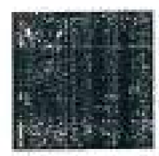

श्री बालकृष्ण (पुष्टिकर्ता)
पुत्र श्री लालजी
पेशा कृषि
निवासी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

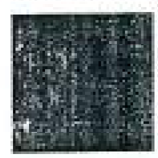

श्री देव कृष्ण (पुष्टिकर्ता)
पुत्र श्री लालजी
पेशा कृषि
निवासी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

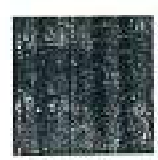

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 2016 मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594904

किन्तु प्रथम पक्ष को निर्माण का तकनीकी अनुभव नहीं है जिस कारण प्रथम पक्ष उक्त निर्माण कार्य को मूर्त रुप देने में कठिनाई व असुविधा महसूस कर रहे है। द्वितीय पक्ष को ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक काम्पलेक्स/रिहायशी मकान के निर्माण एवं विकास का वृहद तकनीकी अनुभव प्राप्त है। प्रथम पक्ष की इच्छा की जानकारी होने पर द्वितीय पक्ष ने अधोलिखित सम्पत्ति पर ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक काम्पलेक्स/रिहायशी मकान के निर्माण हेतु प्रथम पक्ष से सम्पर्क किया और प्रथम पक्ष की अधोलिखित सम्पूर्ण सम्पत्ति पर ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक काम्पलेक्स/रिहायशी मकान का निर्माण व विकास करने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त किया। द्वितीय पक्ष तकनीकी व वित्तीय रुप से समर्थ होने के कारण ग्रुप हाउसिंग फ्लैट / व्यावसायिक काम्पलेक्स / रिहायशी मकान का निर्माण व विकसित करने में पूर्णतः समर्थ है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष की क्षमता व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए अपने वांछित योजना को विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर मूर्त रुप देने हेतु द्वितीय

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
लाo-20/119/2008

श्री नरेन्द्र नारायण (पुष्टिकर्ता)
पुत्र श्री स्व0 जितेन्द्र नारायण
पेशा कृषि
निवासी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

श्री सुरेन्द्र नारायण (पुष्टिकर्ता)
पुत्र श्री स्व0 जितेन्द्र नारायण
पेशा कृषि
निवासी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

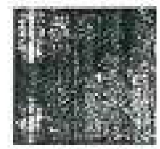

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान बृजभूषण शर्मा
विश्वनारायण शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी रामसिंहपुर पर0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी
व रघुनाथ दूबे
रामचन्द्र दूबे
पेशा व्यापार
निवासी लल्लापुर खुर्द वाराणसी
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

कृष्ण मुरारी तिवारी
नि० लि०
पिण्डरा, वाराणसी

धर्मेन्द्र कुमार
उपनिबन्धक पिण्डरा
वाराणसी
20/9/2016

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 AUG 2016
मुख्य कोषाधिकारी
वाराणसी

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594903

पक्ष द्वारा अधोलिखित सम्पत्ति को विकसित करने व ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक काम्पलेक्स/रिहायशी मकान निर्मित करने हेतु उसकी योजना पर प्रथम पक्ष ने अपनी सहमति व्यक्त किया। उभय पक्ष के बीच उक्त विकास योजना के सम्बन्ध में जो शर्तें तय हुई है उनको लिपिबद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतएव पक्षगण स्वेच्छापूर्वक स्वस्थ्य मन मस्तिष्क की दशा में बिना किसी अनुचित दबाव या प्रलोभन के स्वीकृत शर्तों एवं संविदा के सम्बन्ध में यह विलेख निष्पादित कर अपने-अपने को व अपने-अपने उत्तराधिकारियों तथा स्थानापन्न प्रतिनिधियों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करते व होते है :-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ग्रुप हाउसिंग फ्लैट/व्यावसायिक काम्पलेक्स/ रिहायशी मकान बनाने की योजना व विवरण तैयार करेगा तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग से प्रथम पक्ष की ओर से जहां-जहां

For-GANPATI INFRATECH

Partner

विक्रेता

Registration No.: 5075 Year : 2016 Book No. : 1

0101 दिनेश प्रताप सिंह उर्फ दिनेश प्रसाद सिंह

स्व0 कृष्ण प्रसाद

रामसिंहपुर प०0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

व्यापार

0102 शालिनी देवी

विनय नारायण शर्मा

रामसिंहपुर प०0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

गृहिणी

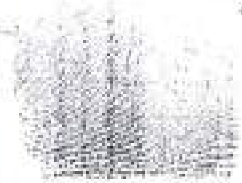

0103 बालकृष्ण (पुष्टिकर्ता)

स्व0 लालजी

रामसिंहपुर प०0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

कृषि

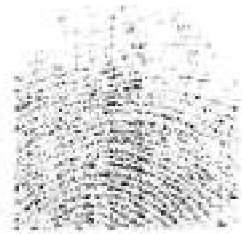

0104 देव कृष्ण (पुष्टिकर्ता)

लालजी

रामसिंहपुर प०0 अठगावा पिण्डरा वाराणसी

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 2016 मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594902

आवश्यक हो प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर द्वारा उसे स्वीकृत करायेगा। उसमें आने वाले समस्त खर्चे द्वितीय पक्ष स्वयं वहन करेगा। प्रथम पक्ष के नाम स्वीकृत मानचित्र द्वितीय पक्ष का मानचित्र मान्य समझा जावेगा।

2. यह कि अधोलिखित सम्पत्ति पर द्वितीय पक्ष भूतल, प्रथम व द्वितीय तल अथवा जितने तलों का निर्माण विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकतम अनुमन्य हो उसका निर्माण करायेगा उसके कुल निर्मित क्षेत्रफल में प्रथम पक्ष का अंश 40 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष का अंश 60 प्रतिशत होगा, जिसके निर्माण में आये समस्त खर्च का वहन द्वितीय पक्ष ही करेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष वाराणसी विकास प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित विभाग से मानचित्र स्वीकृत कराकर उसके अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए पूर्ण रुप से उत्तरदायी होगा और इसमें आने वाले समस्त खर्च/धनराशि के वहन की

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल
विक्रेता स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी

Registration No.: 5075 Year : 2016 Book No. : 1

0105 नरेन्द्र नारायण (पुष्टिकर्ता)

स्व0 जितेन्द्र नारायण

रामसिंहपुर पो0 अवगावा पिण्डरा वाराणसी

कृषि

0106 सुरेन्द्र नारायण (पुष्टिकर्ता)

स्व0 जितेन्द्र नारायण

रामसिंहपुर पो0 अवगावा पिण्डरा वाराणसी

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

30 AUG 2016

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594901

जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी जिससे प्रथम पक्ष का कोई वास्ता सरोकार न होगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष स्वीकृत योजना के अनुरुप समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुसार नियमों के अधीन व मानक के अनुरुप निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर पूरा करायेगा तथा सभी सिनेटरी व अन्य आनुषंगिक फिटिंग्स भी मानक के अनुरुप ही लगवायेगा।

5. यह कि पक्षगण निर्मित भवन में मानचित्र के अनुरुप निर्धारित अपने-अपने अंशों का उपयोग उपभोग चाहे तो स्वयं करे अथवा अपने-अपने नामिनीज को अपने अंश पर काबिज करावे अथवा अपने-अपने अंश का विक्रय अपनी स्वेच्छानुसार इच्छुक अशखास को करके कब्जा दखल प्रदान कर देवे इसमें किसी पक्ष को किसी प्रकार का कोई ऐतराज न होगा।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

आमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
19/2018
क्रेता

Registration No. : 5075 Year : 2016 Book No. : 1

0201 मेसर्स गणपति इन्फ्राटेक जरिये संजीव कपूर
अनिल कपूर
डी-21/124 प्लाट नं0 12-एस सरयू नगर कालोनी कमच्छा वारा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

Chief Treasury Officer VARANASI

30 AUG 2016

मुख्य कोषाधिकारी

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 894900

6. यह कि प्रथम पक्ष को अपने अंश में आवद होने वाले 40 प्रतिशत निर्मित अंश व तद्नुसार आनुपातिक भूमि रकबा तथा द्वितीय पक्ष को अपने अंश में आवद होने वाले 60 प्रतिशत निर्मित अंश व तद्नुसार आनुपातिक भूमि रकबा का इच्छुक ग्राहकों के हक में अंतरण करने व अंतरण विलेख निष्पादित कर, पंजीकृत कराने का स्वतन्त्र अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष अपने निर्मित अंश मय आनुपातिक भूमि रकबा के वावत अपने अन्तरिति के हक में विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए अपने हस्ताक्षर से सक्षम व स्वतंत्र होगा जिसके लिए प्रथम पक्ष जरिये विलेख हाजा द्वितीय पक्ष को प्राधिकार प्रदान करते हुए उन्हें प्राधिकृत करते है।

7. यह कि इस प्रलेख के अनुपालन में भविष्य में निर्मित होने वाले फ्लैटों में प्रथम पक्ष का हिस्सा 40 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का हिस्सा 60 प्रतिशत होगा इसके लिए अनुपूरक डेवलपर्स एग्रीमेण्ट भी पक्षों के बीच सम्पादित किया जायेगा जो इस रजिस्ट्रीकृत विलेख का ही भाग होगा।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

गवाह

Registration No.: 5075 Year: 2016 Book No.: 1

W1 बृजभूषण शर्मा B. Sharma

विभवनारायण शर्मा

रामसिंहपुर पर0 आठ[illegible] पिण्डरा वाराणसी

व्यापार

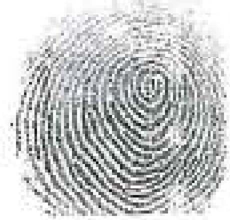

W2 सुभाष दूबे

रामचन्द्र दूबे

लल्लापुर खुर्द वाराणसी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer

30 AUG 2016

मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594899

8. यह कि इस अनुबन्ध पत्र में दिये गये शर्तो के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्य सम्पादित हो सके, इसलिए प्रथम पक्ष विलेख हाजा द्वारा द्वितीय पक्ष को भी प्राधिकृत करते है कि वह प्रथम पक्ष की जगह इस अनुबन्ध पत्र के अनुरुप कार्य करने के लिए जहां–जहां आवश्यकता हो वहां–वहां प्रथम पक्ष की ओर से अपना हस्ताक्षर स्वयं करें व उसी के अनुसार आवश्यक अनुमति आदि हासिल करें व निर्माण कार्य पूर्ण करावे। इसकी पाबन्दी प्रथम पक्ष पर होगी।

9. यह कि योजना के अनुरुप निर्मित भवन के पैसेज, गैलरी, सीढ़ी या लिफ्ट तथा भवन में आने-जाने का रास्ता और अधोलिखित सम्पत्ति का वह अंश जिस पर कोई निर्माण नहीं रहेगा बल्कि बरायत खुला रहेगा वे सभी कामन रहेंगे जिस पर किसी भी पक्ष को किसी प्रकार का निर्माण करने अथवा उसका उपयोग उपभोग दूसरे पक्ष को करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं होगा।

For GANPATI INFRATECH

Partner

१२२५५

६०७१८-५-१९

श्री. [illegible]

[illegible]

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
[illegible] न्यायालय, [illegible]
[illegible] 119/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 AUG 2016
मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594898

10. यह कि द्वितीय पक्ष के लिए यह आवश्यक होगा कि नक्शा पास होकर जारी होने की तिथि से 42 माह यानी तीन वर्ष छः माह के अन्दर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न करा देवे। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में ऐसी अवधि 42 माह यानी तीन वर्ष छः माह की गणना में नही मानी जावेगी। द्वितीय पक्ष विकासकर्ता को लाजिमी होगा कि नियत समयावधि यानि 42 माह यानी तीन वर्ष छः माह के अन्दर प्रस्तावित निर्माण को निश्चित रुप से पूर्ण करा देवे। यदि द्वितीय पक्ष 42 माह यानी तीन वर्ष छः माह के अन्दर निर्माण करके प्रथम पक्ष का अंश अलग नही करते है तो उस सूरत में द्वितीय पक्ष मुबलिग 25,000/-(पचीस हजार) रुपया प्रतिमाह की दर से प्रथम पक्ष को बतौर हर्जाना अदा करते रहेंगे। यदि प्रथम पक्ष द्वारा की गयी किसी अनियमितता या रुकावट के कारण निर्धारित 42 माह यानी तीन वर्ष छः माह के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न नही हो पाता तो ऐसी स्थिति

For-GANPATI INFRATECH

Partner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला0-20/119/20/8

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

VARANASI

30 AUG 2016

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594897

में प्रथम पक्ष भी मुबलिग 25,000/-(पचीस हजार) रुपया प्रतिमाह हर्जाना द्वितीय पक्ष को अदा करेगा।

11. यह कि निर्माण कार्य के दौरान किसी आकस्मिक घटना या परिस्थितिवश पक्षगण अथवा कोई पक्ष शारीरिक/विधिक रुप से असमर्थ हो जावे तो उस दशा में उसके उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न प्रतिनिधियों को वे समस्त अधिकार प्राप्त होगें जो इस विलेख के अधीन पक्षगण अथवा सम्बन्धित पक्ष को प्राप्त है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे सम्बन्धित पक्ष का उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न प्रतिनिधि इस विलेख की शर्तो से पाबन्द होगा एवं उसका अनुपालन नियमानुसार करा लेने का अधिकारी होगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष निर्मित प्रत्येक तल पर प्रथम पक्ष के अंश में आने वाले 40 प्रतिशत निर्मित अंश को पूर्ण रुप से फिनिश करके अर्थात उसमें रंग, वायरिंग,

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल

6

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Office VARANASI 30 AUG 2016 मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594896

इलेक्ट्रानिक मीटर, फर्श मय कामर्शियल मार्बल, टाईल्स, सीवर लाईन, खिड़की, दरवाजा आदि फर्निश कर प्रथम पक्ष को अध्यासित करावेगा।

13. यह कि द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य के पूर्णता हेतु स्वयं मजदूर, इंजीनियर, ठेकेदार, सहभागीदार आदि नियुक्त करने का अधिकारी होगा जिसमें प्रथम पक्ष किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु ऐसे व्यक्तियों के किसी कार्य या कार्य लोप की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की नहीं होगी।

14. यह कि विलेख हाजा पक्षगण के बीच सामान्य अनुबन्ध बशक्ल डेवलपर्स विलेख एवं सम्पूर्ण अधिकार के रुप में तहरीर हो रहा है इससे उभय पक्ष के मध्य कोई साझेदारी उत्पन्न नहीं हो रही है और जिसके अनुसार द्वितीय पक्ष निर्मित होने वाले भवन में अपने हिस्से के 60 प्रतिशत अंश में निर्मित क्षेत्रफल मय अनुपातिक भूमि में पूर्ण हक बाबत करने मुनतकिल प्राप्त कर रहा है एवं उसी रुप में प्रथम

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०-20 19/12019

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 AUG 2016
मुख्य कोषाधिकारी
वाराणसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594895

पक्ष 40 प्रतिशत निर्मित भाग का हक प्राप्त करेगा। खुले भूभाग पर किसी प्रकार का कोई निर्माण न होगा।

15. यह कि पक्षगण अपने-अपने अंश दर आये निर्मित भाग का बिजली, पानी, भवन कर एवं अन्य सरकारी देय आदि निर्माण की पूर्णता के पश्चात् स्वयं वहन करेंगें। इस विकास अनुबन्ध के बावत् स्टाम्प व भूमि पर होने वाले विकास शुल्क को छोड़कर सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स इत्यादि किसी प्रकार का कर यदि सरकार द्वारा लगाया जाता है तो उसकी देनदारी विधि अनुसार पक्षगण अथवा उनके स्थानापन्नों की होगी।

16. यह कि प्रस्तावित भवन के निर्माण के पश्चात् जब तक प्रस्तावित भवन के अध्यासियों की हाउसिंग सोसायटी अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक उक्त भवन के बाहरी व कामन पैसेज एवं अन्य कामन अंश की देख-रेख सफाई व्यवस्था सामान्य मरम्मत, चूना कली एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी पक्षगण अपने-अपने

सालीनी

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०-29 [illegible] 19/20/R

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 AUG 2016
मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594894

अंशानुसार संयुक्त रुप से वहन करेंगें तथा निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् दोनों पक्षों में निहित होने वाले यूनिट्स/फ्लैट्स के स्वामी सम्पूर्ण काम्प्लेक्स के रख रखाव हेतु बनाये गये एसोसिएशन/सोसाईटी के सदस्य होगें तथा सभी फ्लैट्स के स्वामी सोसाईटी फण्ड व मेन्टेनेन्स खर्चे अदा करेगें।

17. यह कि प्रथम पक्ष जरिये विलेख हाजा प्रस्तावित भवन के 60 प्रतिशत अंश मय आनुपातिक भूमि को विक्रय करने, विक्रय हेतु अनुबन्ध करने, किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्रदान कर रहे है एवं 40 प्रतिशत अंश को विक्रय करने, विक्रय हेतु अनुबन्ध करने, किराये पर देने अथवा अपनी स्वेच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष के अंश में आये 60 प्रतिशत भाग के सम्बन्ध में उपर वर्णित समस्त अधिकार के लिए द्वितीय पक्ष को प्राधिकृत करते है।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

[illegible]

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०-2[illegible]19/20[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

VARANASI

30 AUG 2016

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594893

18. यह कि किसी पक्ष को अपने अंश के अतिरिक्त किसी दूसरे पक्ष के हिस्से के भवन मजकूर का कोई अंश विक्रय करने, बन्धक रखने अथवा विक्रय हेतु अनुबन्ध करने का अधिकार न होगा। पक्षगण का हित, अधिकार एवं स्वत्व अपने अपने अंश तक ही सीमित रहेगा।

19. यह कि द्वितीय पक्ष योजनानुसार भवन निर्माण में लगने वाली सम्पूर्ण धनराशि की व्यवस्था स्वयं या स्वयं के दायित्व पर किसी भी वित्तीय अथवा वित्त पोषक संस्था द्वारा करावेगा और किसी भी दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य मजकूर के बाबत लिये गये किसी ऋण अथवा धनराशि को अदा करने की कोई जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की न है और न होगी उसका कोई प्रभाव प्रथम पक्ष के हक हिस्सा यानि 40 प्रतिशत अंश इमारत मजकूर पर नही होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष एवं उसके 60 प्रतिशत अंश भवन मजकूर पर ही होगी।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 20..

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594892

20. यह कि तृतीय पक्ष पुष्टिकर्तागण इस प्रलेख को बतौर पुष्टिकर्ता पक्षकार बनकर यह पुष्ट कर रहे है कि इस प्रलेख के माध्यम से जिस भूमि का डेवलपर एग्रीमेण्ट तहरीर किया जा रहा है तनहां सम्पत्ति प्रथम पक्ष की है उससे तृतीय पक्ष पुष्टिकर्ता का कोई सम्बन्ध न है और न भविष्य में होगा। इस बात की पुष्टि के लिए तृतीय पक्ष बतौर पुष्टिकर्तागण पक्षकार बनकर द्वितीय पक्ष को यह इत्मीनान दिला रहा है कि इस प्रलेख में वर्णित सम्पत्ति से उनका कोई वास्ता सरोकार नहीं है वह तनहां सम्पत्ति प्रथम पक्ष की है।

21. यह कि द्वितीयपक्ष जो भी व्यावसायिक निर्माण वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करेंगे उस निर्माण में मात्र भूतल पर निर्मित समस्त दुकानों के स्वामी प्रथम पक्ष होंगे तथा शेष निम्नवर्णित भूमि पर जो निर्माण होगा उसमें प्रथम पक्ष का 40 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष का 60 प्रतिशत स्वामित्व होगा।

दिनेश प्रताप सिंह शालीनी

For-GANPATI INFRATECH

Partner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी।
ला०-29/119/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

Chief Treasury Officer VARANASI

30 AUG 2016

मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594891

22. यह कि इस प्रलेख के माध्यम से जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह प्रलेख निष्पादित किया जा रहा है उसको प्रथम पक्ष किसी भी वित्तीय संस्था अथवा गैर वित्तीय संस्था में बंधक, रेहन आदि नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो इस प्रलेख के सामने व्यर्थ व नाजायज होगा।

23. यह कि डेवलपर विलेख में वर्णित सम्पत्ति के स्वामीगण प्रथम पक्षगण है। द्वितीय पक्ष द्वारा भविष्य में किये गये निर्माण कार्य की अवधि में अगर उपरोक्त सम्पत्ति में कोई दोष निकलता है तो उस स्थिति में प्रथम पक्ष निर्माण कार्य में जो भी खर्च हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए प्रथम पक्ष पूर्णतया जिम्मेदार होगे।

24. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा यदि उपरोक्त करार के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाती है तो द्वितीय पक्ष सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपने क्षति की भरपाई कर सकता है। इसी प्रकार यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त करार का

For-GANPATI INFRATECH

Partner

1-7722

40/10-12-18

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
[illegible] 10/12/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 2016 मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594890

कोई उल्लघन किया जाता है तो प्रथम पक्ष भी अपनी क्षतिपूर्ति के लिए विधिक कार्यवाही में ला सकता है।

25. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रस्तावित भूखण्ड पर अपने फर्म का साईन बोर्ड लगाने का अधिकार होगा जिसे प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

26. यह कि विलेख में अन्तर्निहित सम्पत्ति खुला भूखण्ड है जिसमें किसी प्रकार का कोई तामीरात नही है और प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को बशक्ल खुली अवस्था में ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायी जा रही है।

27. यह कि प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को यह अधिकार देते है कि द्वितीयपक्ष प्रथमपक्ष की निम्नवर्णित सम्पत्ति से सटी किसी अन्य सम्पत्ति को निम्नवर्णित सम्पत्ति में जोड़कर दोनों का संलग्न विकास कर सकते है तथा दोनों सम्पत्तियों का एक संयोजित योजना बना सकते है हालांकि पक्षगणों में यह तय है कि संयुक्त विकास योजना

For GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
लाο-२९-119//20/8

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

VARANASI 30 AUG 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594889

यदि बननी हो तो इस विकास अनुबन्ध के निबन्ध होने के एक वर्ष के अन्दर हो जायेगा तथा यदि संयुक्त विकास योजना के आधार पर निर्माण होता है तो संयोजित निर्माण होने के उपरान्त उक्त संयोजित विकसित सम्पत्ति में प्रथमपक्ष का अंश सम्पूर्ण भूमि में उनके अंश के हिसाब से 40 प्रतिशत ही होगा यानि इस प्रकार से संयोजित निर्माण होने के उपरान्त भी प्रथमपक्ष को मिलने वाले निर्मित क्षेत्रफल में कोई अन्तर नहीं आयेगा। ऐसी स्थिति में चूंकि निर्माण व विकास कार्य बढ़ जायेगा इसलिए द्वितीयपक्ष उक्त नक्शे के वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के द्वारा पारित होकर जारी होने से 6 वर्ष 6 माह के अवधि के निर्माण कार्य सम्पूर्ण करेगा तथा ऐसी स्थिति में ऊपर वर्णित पैरा 10 में वर्णित अवधि 42 माह यानी 3 वर्ष 6 माह की जगह 6 वर्ष 6 माह की अवधि निर्माण हेतु द्वितीयपक्ष को प्राप्त होगी तथा उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न कर पाने की दशा में हर्जाना भी 6 वर्ष 6 माह बाद यानी 78 माह के बाद शुरू होगा।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

[illegible] बरनवाल

[illegible]

[illegible], वाराणसी

[illegible] 29/119/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief ... Officer VARANASI 30 AUG 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 594879

28. यह कि इस विलेख के माध्यम से प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को निम्नवर्णित सम्पत्ति के विकास अनुबन्ध के शर्तों के सम्बन्ध में हर प्रकार का कार्य करने के अधिकारिता (जनरल पॉवर) देते हैं। द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार होगा कि वे प्रथमपक्ष की ओर से निम्नवर्णित सम्पत्ति के विकास अनुबन्ध के शर्तों के अनुरूप सभी कार्य करें तथा इस विलेख द्वारा प्रथमपक्ष के जानिब से द्वितीयपक्ष को प्रदत्त अधिकार को प्रथमपक्ष निम्नवर्णित भूमि के तयशुदा शर्तों के अनुसार कभी रद्द नहीं करेगा।

29. यह कि विलेख हाजा पर आयद स्टाम्प में से मुबलिग 41,92,600/- रुपये का स्टाम्प द्वितीय पक्ष ने अपने धन से प्रथम पक्ष के नाम व अवशेष अपने नाम क्रय किया है। विलेख हाजा पर आयद होने वाले समस्त खर्च स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क व अन्य आनुषंगिक खर्चे द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जा रहा है जिसे उभय पक्ष स्वीकार करते हैं।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, [illegible]
[illegible] 19/20[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 2016 मुख्य कोषाधिकारी वाराणसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594878

इस वास्ते यह डेवलपर्स विलेख हम पक्षकारगणों ने पढ़कर व पढ़वाकर, सुन व समझकर इसके प्रभाव से पूरी तरह वाकिफ होते हुए लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

<u>विवरण सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में</u>

<u>अनुबन्ध तहरीर की जा रही है</u>

आराजी नम्बर 28 रकबा 0.6480 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1980 हेक्टेयर, कुल दो गाटा रकबा 0.846 हेक्टेयर यानी 8554.33 वर्गमीटर, जो आपस में सटे हुए है, का पूर्वी 1/2 हिस्सा यानी 0.423 हेक्टेयर यानी 4277.165 वर्गमीटर, स्थित ग्राम हरहुआ, परगना अठगाँवा, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी, जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

For-GANPATI INFRATECH

Partner

१२२६६

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०-23/19//20/8

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 AUG 2016
मुख्य कोषाधिकारी
वाराणसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594886

पूरब :- आराजी देवी शंकर मिश्रा

पश्चिम :- जुजभाग आराजी मिल्कियत तृतीयपक्ष/पुष्टिकर्ता।

उत्तर :- पंचकोशी रोड।

दक्षिण :- आराजी नम्बर 30 व अन्य आराजियात मिल्कियत दीगर व्यक्ति।

नोट:-

- अनुबन्ध होने वाली सम्पत्ति के आस-पास कोई व्यवसायिक कार्य नहीं होता है।
- पक्षगण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है तथा भारत के नागरिक है। उक्त आराजियात वाराणसी-जौनपुर मार्ग से 300 मीटर दूर स्थित है। पंचकोशी मार्ग ... विक्रय बिन्दु से 300 मीटर दूर स्थित है।

हिन्दी प्रमाणित सालीनी

For-GANPATI INFRATECH

Partner

14226

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०नं०-20/119/20/8

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 AUG 2016
मुख्य कोषाधिकारी
वाराणसी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594908

- <u>अनुबन्धित सम्पति की अधिकतम सरकारी मालियतः-</u>

भूमि

4277.165 वर्गमीटर X 14,000/-रुपया प्रतिवर्गमीटर 5,98,80,310/-

अनुबन्ध पर देय स्टाम्प जरिये ई-स्टाम्प संख्या IN-UP 02412542761970० दिनांक 20.09.2016ई0 अदा की जा रही है।

तहरीर तारीखः-20.09.2016ई0

दिनेश प्रतापसिंह सालोनी

For-GANPATI INFRATECH

Partner

नरेन्द्र कुमार सिंह

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०-29/119/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594884

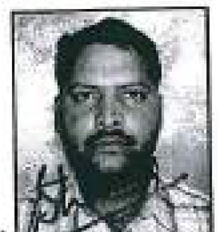

24

गवाहान :-

1. नाम : श्रीकृष्णभूषण शर्मा

पिता का नाम : श्री विभवनारायण शर्मा

पूरा पता : ग्रा०- रामसिंहपुर पो०हरहुआ जि० - वाराणसी

मो०नं०- 9125942953

हस्ताक्षर : B Sharma

दिनेश प्रताप सिंह सालोनी

For-GANPATI INFRATECH

Partner

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
ला०-29/119//20/8

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI 30 AUG 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594883

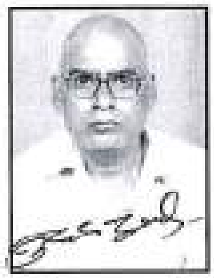

25

2. नाम : [illegible]

पिता का नाम : [illegible]

पूरा पता : [illegible]

मो०नं०- 9120749272

हस्ताक्षर : [illegible]

For GANPATI INFRATECH

Partner

Singh

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ओमप्रकाश [illegible]
स्टाम्प विक्रेता
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Officer VARANASI

30 AUG 2016

मुख्य कोषाधिकारी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 594882

26

मसविदाकर्ता :-

Amit Varma

अमित वर्मा,

एडवोकेट

दीवानी कचहरी, वाराणसी।

टाईपकर्ता :-

आर०के० कम्प्यूटर,

दीवानी कचहरी, वाराणसी।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

12259

ओमप्रकाश बरनवाल
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी न्यायालय, वाराणसी
लाइ-20[illegible]19//20[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

भारत

TEN RUPEES

रु.10

INDIA

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

92AC 135395

नक्शा नजरी

आ0नं028 रकबा 0.6480 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 29 रकबा 0.1980 हेक्टेयर, कुल दो गाटा रकबा 0.846 हेक्टेयर यानी 8554.33 वर्गमीटर, जो आपस में सटे हुए हैं, का पूर्वी 1/2 हिस्सा यानी 0.423 हेक्टेयर यानी 4277.165 वर्गमीटर, स्थित ग्राम हरहुआ, परगना अठगांव, तहसील पिण्डरा, जिला वाराणसी

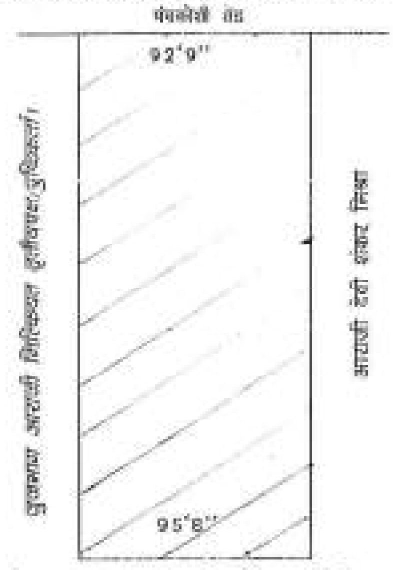

आराजी नम्बर 30 व अन्य आराजियात मिल्कियत दीगर व्यक्ति।

For-GANPATI INFRATECH

Partner

आज दिनांक 20/09/2016 को

बही सं 1 जिल्द सं 3471

पृष्ठ सं 373 से 428 पर क्रमांक 5075

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

धर्मेन्द्र कुमार

उपनिबन्धक पिण्डरा

वाराणसी

20/9/2016